न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 37/2020 (2020/00133)

अनवान : –

1. सोमपाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।

प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र शर्मा प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 सीएचएन के वर्तमान खाता सं 41/37 मु0 न0 25 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु0 न0 26 के किला न0 1, 10, 11 मु0 न045 के किला न0 1 ता 10 कुल किता 31 की कुल 7.843 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थी सोमपाल के नाम 0.872 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सोमपाल की बजाऐ सतपाल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता मनीराम के सतपाल नामक कोई लड़का नहीं है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका, ड्राईविंग लाईसैन्स, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र व परिवार राशन कार्ड में भी प्रार्थी का नाम सोमपाल पुत्र मनीराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत छानीबड़ी के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में सोमपाल की बजाऐ सतपाल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपनी नाम सतपाल के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम सोमपाल दर्ज करा पाने का मजाज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:43 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोमपाल के स्थान पर सतपाल दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑनलाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम सतपाल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के चक 1 सीएचएन के वर्तमान खाता सं 41/37 में प्रार्थी का नाम सोमपाल दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी सोमपाल के साक्ष्य करवाये गये जिनमें चक 1 सीएचएन के खाता संख्या 41/37 प्रदर्श 1, ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवायें।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा 1 सीएचएन के वर्तमान खाता सं 41/37 में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का नाम जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी का सही नाम सोमपाल पुत्र मनीराम के स्थान पर सतपाल पुत्र मनीराम दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका, ड्राईविंग लाईसैन्स, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र व परिवार राशन कार्ड पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम सोमपाल पुत्र मनीराम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 1 सीएचएन के वर्तमान खाता सं 41/37 में प्रार्थी का नाम **''सतपाल के स्थान पर सोमपाल''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच सतपाल पुत्र मनीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से सतपाल पुत्र मनीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए सतपाल/सोमपाल ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ